



सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)

जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075 • G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075

दूरभाष/Phone : 91-11-25074100 / 25074200



भाराराप्रा/नीति दिशानिर्देश/ मानक दस्तावेज़/2026 नीति सं. 11.89 /2026 दिनांक 08th मार्च, 2026

{(ई-ऑफिस फाइल सं. डिज़ाइन-11037/1/2026-डिज़ाइन प्रभाग (कम्प्यूटर सं. 307706 पर लिया गया निर्णय)}

NHAI/Policy Guidelines/ Standard Documents /2026

Policy No. 11.89 /2026 dated 08th March, 2026

{(Decision taken on E-Office File No. DESIGN-11037/1/2026-Design Division (Comp No. 307706)}

विषय: भाराराप्रा राजमार्ग परियोजनाओं के लिए स्क्यू एंगल वाली आरसीसी संरचनाओं के डिज़ाइन एवं निर्माण के संबंध में दिशानिर्देश।

Sub: Guidelines regarding Design and Construction of RCC Structures with skew angles for NHAI Highway Projects.reg:

यह देखा गया है कि ऑर्थोगोनल (नॉन-स्क्यूड) संरचनाएं अपने स्क्यू डायरेक्शन में अभिविन्यास के साथ आमतौर पर राजमार्ग के अन्य बुनियादी ढांचागत सुविधाओं जैसे सड़क, नहर, जल धारा, उपयोगिताओं लाइनों आदि के गैर-ऑर्थोगोनल चौराहे के स्थानों पर प्रदान की जा रही हैं। संपूर्ण सड़क चौड़ाई को समायोजित करने के लिए बैरल लंबाई बढ़ गई है। संरचनाओं के ऐसे अभिविन्यास से आमतौर पर सड़क किनारे से सटे उपलब्ध भूमि स्थान की बर्बादी होती है, जिससे धारा प्रवाह की प्राकृतिक दिशा में हस्तक्षेप होता है, ऐसी संरचना से सुगम वाहन आवाजाही में बाधाएं आती हैं।

It has been observed that Orthogonal (non-skewed) Structures with its orientation in the skew direction are being commonly provided at locations of non-orthogonal intersection of Highway with other infrastructure facilities such as Road, Canal, Water Stream, Utilities Lines etc. with increased barrel length even extending beyond the roadway width to accommodate the complete roadway width. Such orientation of the Structures generally leads to wastage of available land space adjacent to the roadway edge, interfering with the natural direction of stream flow, hindrances for smooth vehicular movement depending on type of Structure.

2. भाराराप्रा की दिनांक 22.01.2026 को आयोजित 700^{वीं} ईसी बैठक में इस मामले पर ध्यानपूर्वक विचार-विमर्श किया गया और निम्नलिखित सुधारात्मक उपाय अपनाने का निर्णय लिया गया:

The matter has been carefully deliberated in 700th EC meeting held on 22.01.2026 in NHAI and it has been decided to adopt the following corrective measures:

- (i) आरसीसी ऑर्थोगोनल संरचनाओं के डिज़ाइन एवं निर्माण में सड़क की चौड़ाई से परे स्क्यू डायरेक्शन में अभिविन्यास के साथ-साथ बैरल की लंबाई में वृद्धि से बचना चाहिए। इस संबंध में, यदि कोई संदेह हो, तो **अनुलग्नक-1 (स्केच-1)** को संदर्भित किया जा सकता है। Design & Construction of RCC orthogonal structures with increased barrel length as well as orientation in skew direction beyond the roadway width shall be avoided. For avoidance of doubt (if any) Annexure-1 (Sketch-1) may be referred.

Contd.....2/-

- (ii) स्क्वू एंगल > 45 डिग्री वाली आरसीसी संरचनाओं के लिए, प्रस्तावित संरचना का अभिविन्यास बदलना होगा (संरचनाओं के नीचे सड़क/जल धारा/वाहन आवागमन आदि के मौजूदा संरेखण में किसी भी व्यवधान के बिना) ताकि स्क्वू एंगल <45 डिग्री लाया जा सके जिसके परिणामस्वरूप स्पैन की लंबाई बढ़ सकती है। इस संबंध में, यदि कोई संदेह हो, तो अनुलग्नक-2 (स्केच-2) को संदर्भित किया जा सकता है।

For RCC Structures with skew angle > 45 deg, orientation of the proposed Structure to be changed (without any disturbance to existing alignment of road/water stream/vehicular movement etc. below the structures) in order to bring the skew angle < 45 deg which may result in increasing the span length. For avoidance of doubt (if any) Annexure-2 (Sketch-2) may be referred.

नोट- सभी चल रही परियोजनाओं (प्राप्त बोलियाँ/ प्रदत्त/ निर्माणाधीन कार्य) के लिए, उपर्युक्त उपचारात्मक उपायों का आवेदन संबंधित सदस्य की मंजूरी सहित तकनीकी प्रभागों द्वारा तय किया जाएगा।

Note - For all Ongoing Projects (Bids received / Awarded / Works under construction): The application of above remedial measures shall be decided by Technical Divisions with the approval of Member concerned.


3. उपर्युक्त सुधारात्मक उपायों को सभी संबंधित पक्षों द्वारा अनुपालन हेतु इसके साथ प्रचालित किया जाता है।

The above remedial measures is circulated herewith for compliance by all concerned.

4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of the Competent Authority.

संलग्नक: यथोपरि ।

Encl: As stated above.


08/03/2026

(सीएस. संजय कुमार पटेल/ CS. Sanjay Kumar Patel)


प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक(समन्वय) (i/c) Chief General Manager (Coord.)

प्रति/ To:

भाराराप्रा मुख्यालय/आरओ/पीआईयू/सीएमयू/साइट कार्यालयों के सभी अधिकारी।
All Officers of NHAI HQ/ ROs/ PIUs/ CMUs/ Site Offices.

प्रतिलिपि/ Copy to:


1. पुस्तकालय की साइट पर प्रकाशन के लिए पुस्तकालय को।
Library for hosting the Circular on Library Site.
2. परिचालन के लिए वेब एडमिन को।
Web Admin for Circulation.
3. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ।
PPS to Secretary, MoRTH for Kind Information.



स्केच-1: ऑर्थोगोनल संरचना ए'बी'सी'डी' से बचना चाहिए। स्क्वू संरचना अभिविन्यास एबीसीडी का पालन किया जाना चाहिए।

Sketch-1: Orthogonal structure A'B'C'D' shall be avoided. Skew Structure Orientation ABCD shall be followed.

Handwritten signature



स्केच-2: स्केयु एंगल > 45 डिग्री के लिए, ए'बी'सी'डी' के स्थान पर संरचना को एबीसीडी के रूप में प्रदान किया जाए।

Sketch-2: For skew angle > 45 deg, instead of A'B'C'D', the Structure to be provided as ABCD.

Handwritten signature